न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री बृजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्या:–46/2023 (GCMS No. 2023/49) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. ग्याप्रसाद } पुत्रगण रामसिंह
2. रमेश चन्द्र }
3. प्रदेश
4. भगवती प्रसाद } पिसरान सियाराम
5. भीमा }
6. सुनहरीलाल }
7. बैजन्ती वेवा बहादुर
8. धनपाल } पुत्रगण बहादुर
9. रूपसिंह }
10. बैनीराम }

(1 से 10) समस्त जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम बसईयालालू तहसील मनियां जिला धौलपुर (राज0)

11. प्रागो पुत्री बहादुर पत्नी काशीराम जाति लोधा निवासी ग्राम बसईयालालू हाल निवासी कौलारी तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर (राज0)
12. मन्जू पुत्री बहादुर पत्नी भूरीसिंह जाति लोधा निवासी बसईयालालू हाल निवासी खुसियापुर तहसील खेरागढ जिला आगरा उ.प्र.

...........अपीलान्टस

बनाम

1. बीरीसिंह पुत्र ग्यासी जाति लोधा निवासी बसईयालालू तहसील मनियां जिला धौलपुर।
2. लक्ष्मी पुत्री ग्यासी पत्नी छविराम जाति लोधा निवासी बसईयालाल हाल निवासी नगला तेजा तहसील खेरागढ जिला आरा

...........असल रेस्पोडेन्टस

3. सेठूराम }
4. रामवीर } पुत्रगण (रामदेई व बुद्वाराम) जाति लोधा निवासीगण ग्राम सालेपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।
5. अजमेरसिंह }
6. मीना पुत्री (रामदेई व बुद्वाराम) जाति लोधा निवासी ग्राम सालेपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर (राज.)
7. ग्राम पंचायत बसईयालालू जरिये सरपंच।
8. मुन्नालाल पुत्र (रामदेई व बुद्वाराम) जाति लोधा निवासी सालेपुर तहसील सैपऊ।
9. किरनदेई पुत्री (रामदेई व बुद्वाराम) जाति लोधा निवासी ग्राम सालेपुर तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

10. अजयचन्द पुत्र गुलाबसिंह
11. अतरदेई पुत्री गुलाबसिंह
12. ओमवती पत्नी गुलाबसिंह
13. नत्थीलाल पुत्र श्रीचन्द
14. बच्चूसिंह पुत्र श्रीचन्द
15. मुकेश चन्द पुत्र गुलाबसिंह
16. मेघसिंह पुत्र श्रीचन्द
17. मीना पुत्री गुलाबसिंह
18. राकेशचन्द्र पुत्र गुलाबसिंह
19. राधेश्याम पुत्र श्रीचन्द
20. रामखिलाडी पुत्र श्रीचन्द
21. रामबेटी पुत्री श्रीचन्द
22. रामश्री पतनी श्रीचन्द
23. रामेश्वर पुत्र श्रीचन्द
24. रामसहाय पुत्र श्रीचन्द
25. बिरमाजीत पुत्र परसराम
26. शिवदेई पुत्री परसराम
27. सतीशचन्द पुत्र गुलाबसिंह
28. सुरेशचन्द पुत्र गुलाबसिंह
29. हाकिम पुत्र श्रीचन्द

समस्त जातिगण लोधा निवासी ग्राम बसईयालालू तहसील मनियां जिला धौलपुर (राज0)

..........तरतीवी रेस्पोडेन्टस

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 28.04.2023 उपखण्ड अधिकारी धौलपुर अपील संख्या 10/20 उनवानी वीरीसिंह बनाम ग्राम पंचायत।

उपस्थितिः—

1. अपीलान्टस की ओर से श्री सुरेश कटारा, वकील
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगा. 9 की ओर से श्री योगेश शर्मा वकील

नि र्ण य **दिनांक : 28.06.2024**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 28.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि नामांतरकरण के करीब 36 वर्ष बाद अपील मियाद बाहर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

प्रस्तुत की गई। असल रेस्पो. द्वारा अपील प्ररतुत करने से पूर्व धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया और अपील पेश करने की स्वीकृति नहीं ली गई। नाहरसिंह नामक व्यक्ति की पुत्री रामदेई को शिजरे में अंकित करके उसका निधन होना बताया। मृतक रामदेई के उत्तराधिकारी जो अपील में बताये उनके अलावा रामदेवी का पति बुद्वाराम भी जीवित है जिसे अपील में पक्षकार नहीं बनाया। बाद में बुद्वाराम को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र असल रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया। अर्थात मृतक रामदेवी के उत्तराधिकारियों में से बुद्वाराम को बिना सुने निर्णय पारित किया। स्व0 ग्यासी के 30 वर्ष बाद तक जीवित रहने के बाबजूद विवादित नामांतरकरण को कोई चुनौती नहीं दी किन्तु इस बिन्दु के उपर भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं दिया जाकर मनमाने ढंग से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 लगा. 9 की ओर से श्री योगेश शर्मा अभिभाषक उपस्थित आये। रेस्पो. संख्या 10 लगा. 29 अनुपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्टस द्वारा अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील करीब 36 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की गई। रेस्पो. द्वारा अपील प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र देने की एवं अनुमति लेने की आवश्यकता थी जो नहीं ली गई। विलम्ब को क्षमा करने के लिए प्रथम आवश्यक शर्त यह है कि किसी को असत्य व कपटपूर्ण कथन नहीं करना चाहिए और तथ्य को छिपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नाहरसिंह नाम व्यक्ति की पुत्री रामदेई को शिजरे में अंकित करके उसका निधन होना बताया गया था। यह तथ्य निर्विवाद था कि जो उत्तराधिकारीगण अपील में बताये गये उनके अलावा रामदेवी का पति बुद्वाराम भी जीवित था जिसे अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया। बाद में असल रेस्पो. द्वारा बुद्वाराम को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसे निरस्त कर दिया गया। मृतक रामदेवी के उत्तराधिकारियों में से बुद्वाराम को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटस का जबाब स्वयं लिखित बहस दोनों में आपत्ति ली गई कि स्व0 फतेहलाल जिसकी छोडी हुई जायदाद का विवाद है उसके पुत्र ग्यासी जो कि असल रेस्पो. के पूर्वाधिकारी बतलाये गये है वह स्व0 फतेहलाल के सबसे बडे पुत्र थे। ग्यासी को फतेहलाल ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी के अतिरिक्त अन्य जायदाद उनके हिस्से में दे दी गई थी। जिसका खाता अलग मौजूद है। इस कारण विवादित आराजी में कोई हिस्सा स्व.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

ग्यासी को नहीं दिया गया। उक्त बिन्दु एक ऐसा तथ्यात्मक सीरीयस बिन्दु है जो केवल साक्ष्य से ही निर्णित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई साक्ष्य नहीं ली गई। नामांतरकरण में अधिकार तय नहीं होते है। एकबार हिस्सा लेने के बाद पुनः हिस्सा नहीं मिल सकता है। स्व. फतेहलाल ने अपने जीवनकाल में जो जमीन स्व. ग्यासी के नाम कराई थी उनके खसरा नम्बर 2, 40, 125, 224 एवं 322 ग्राम बसईयालालू एवं ख.नं. 39 कराये थे। उनमें से खसरा नम्बर 39 को स्व. ग्यासी/उनके वारिसान असल रेस्पो. ने जोगेन्द्र पुत्र दुर्गसिंह जाति लोधा निवासी भैंसांख को विक्रय कर दिया इसके अलावा ख.नं. 40 भी नत्थीलाल पुत्र परसराम व हाकिमसिंह पुत्र श्रीचन्द लोधा निवासी बसईयालालू को विक्रय कर दिया। खसरा नम्बर 2 को नत्थीलाल, लाखनसिंह पुत्रगण भूपसिंह लोधा निवासी बगचोली को विक्रय कर दिया। खसरा नम्बर 125, 224, 322 आज भी असल रेस्पो. के नाम है। इस प्रकार जमीन स्व. ग्यासी द्वारा विक्रय कर दी गई उसका कुल क्षेत्रफल 0.9105 हैक्टे. तथा वर्तमान में जो असल रेस्पो. के नाम है उसका क्षेत्रफल 0.8978 हैक्टे. कुल 1.8083 हैक्टे. ग्यासी के हिस्से में आया। खसरा नम्बर 290 में रेस्पो. वीरीसिंह का 1/5 भाग जिसका रकवा 6.8256 विस्वा है कुल मिलाकर बीरीसिंह रेस्पो. के नाम 7.484065 जमीन है और स्व. फतेहलाल की कुल आराजी में जितना हिस्सा स्व. ग्यासी के हिस्से में आना चाहिए था वह उसको मिल चुका है। इसी कारण स्व. ग्यासी ने नामांतरकरण को 30 वर्ष बाद तक जीवित रहने के बाबजूद चुनौती नहीं दी गई। किन्तु इस बिन्दु के उपर भी किसी प्रकार का निर्णय न्याय संगत तरीके से पारित नहीं करते हुये मनमाने ढंग से निर्णय किया गया है। ग्राम पंचातय का आर.ओ. की हैसियत से निर्णय करने का अधिकार है। ग्यासी स्वीकार कर चुका है। पाबन्द (Estople) है। प्रविष्टि नहीं हुई है। उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में दावा विचाराधीन है। पौत्र का जन्मसिद्व अधिकार होता है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथा आरबीजे 2005 पेज 132, आरबीजे 2019 पेज 464, एआईआर 2011(एससी) पेज 1237, आरआरटी 2009(1) पेज 488, आरआरडी 1999 पेज 303, आरबीजे 2019 पेज 694, आरबीजे 2013 पेज 1, आरआरटी 2018(2) पेज 1026, आरआरडी 1993 पेज 232 एवं आरआरटी 2018(2) पेज 879 उद्वृत किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा दौराने बहस कथन किया कि रेस्पो. को कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। नामांतरकरण सिजरा में फतेहलाल के वारिसान ग्यासी, रामसिंह व नाहरसिंह फौत पत्नी कलावती अंकित हैं। ग्राम पंचायत को नामांतरकरण का क्षेत्राधिकार है। नामांतरकरण में खसरा नम्बर नहीं खोले गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु को देखा गया है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार को जॉच के आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है। ग्यासी के वारिसान की जॉच पूर्व में नहीं हुई है। न्यायायल उपखण्ड अधिकारी में दावा पेश किया जिसमें सिजरा अंकित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सभी विधिक वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जावेगा जब तक कि कोई अपना हिस्सा छोड नहीं देता है, ग्राम पंचायत के कहने पर नहीं। धारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना प्रभावित पक्षकार अपील कर सकता है। मृतक के सभी वारिसान को सुने बिना मियाद का प्रश्न आडे नहीं आयेगा और गुणावगुण के आधार पर निर्णय होगा। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जब प्रकरण को रिमाण्ड किया गया तो उनको तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होना चाहिए था। अतः अपीलांटस की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। रेस्पो. द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त यथा आरआरडी 1988 पेज 409, आरआरटी 2013(II) पेज 766, आरआरटी 2012 (II) पेज 850, आरआरटी 2012 (II) पेज 988, आरआरटी 2011(1) पेज 432, आरआरटी 2005 (1) पेज 646 एवं आरआरटी 2002 (1) पेज 257 उद्धृत किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक नजरों का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा नामांतरकरण संख्या 3 दर्ज किया गया और भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी अंकन सही माना है। सरपंच द्वारा स्व. ग्यासी का नाम छोडकर नामांतरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 3 निर्णय दिनांक 21.04.1975 ग्राम बसईयालालू स्व. फतेहलाल की विरासत का खोला गया। जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्टस ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में अपील की तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा नामांतरकरण निरस्त करते हुये तहसीलदार मनियां को पुनः जॉच कर नामांतरकरण की कार्यवाही के आदेश दिनांक 28.04.2023 को दिया जिसके विरूद्व यह अपील दिनांक 05.06.2023 को प्रस्तुत की गई है। उक्त नामांतरकरण पर फतेहलाल का सजरा अंकित किया गया है उसमें ग्यासी के नाम के साथ ही रामसिंह, नाहरसिंह फौत वेवा कलावती का नाम अंकित है और नामांतरकरण रामसिंह पि. फतेहलाल व कलावती वेवा नाहरसिंह कौम लोधा दर्ज कर यह नोट अंकित किया गया है कि ग्यासी पुत्र फतेहलाल को उसका हिस्सा फतेहलाल अपने जीवनकाल में ही दे दिया गया था जिसका अलग खाता मौजूद है।

7. सर्वप्रथम हम ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण कार्यवाही का विवेचन करना उचित समझते हैं। फतेहलाल फौत होने पर उसके वारिसान नामांतरकरण पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अंकित सिजरा अनुसार (1) ग्यारी पुत्र (2) रामसिंह पुत्र (3) नाहरसिंह पुत्र (फौत) इसकी पत्नी कलावती के नाम पटवारी द्वारा दर्ज किया गया किन्तु सरपंच ने यह लिखते हुये कि ग्यारी पुत्र फतेहलाल को इसका हिस्सा फतेहलाल ने अपने जीवनकाल में ही दे दिया था उसका खाता अलग है। अतः उसका नाम हटाकर मात्र दो वारिसान के नाम 1/2, 1/2 हिस्सा स्वीकार कर दिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार तीनों पुत्र प्रथम श्रेणी के वारिस थे। विरासत में प्रथम श्रेणी के वारिसान को समान रूप से विरासत प्राप्त होनी चाहिए। पारिवारिक बंटवारा का कोई दस्तावेज संलग्न नहीं हैं। भू राजस्व अधिनियमों में किसी भी प्रथम श्रेणी के वारिसान का नाम बिना सक्षम आदेश/पंजीकृत हकत्याग, पंजीकृत बयनामा के नहीं हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत सरपंच को किन नियमों में अधिकार है इस संबंध में कोई नियम, दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत नहीं किये। प्रथम दृष्टया सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में विधिक भूल की है। इस संबंध में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2013(2) पेज 766 के अनुसार "नामांतरकरण स्वत्व अथवा हित सृजन नहीं करता है। सभी विधिक वारिसान भूमि में हिस्सा के हकदार हैं जब तक कि हिस्सा छोड न दिया जाये। रजिस्टर्ड हक तर्कनामा पेश नहीं किया– निर्णित नामांतरकरण विधि के प्रतिकूल है" प्रतिपादित किया। इस प्रश्नगत नामांतरकरण में पुत्र ग्यासी का नाम छोड दिया गया। इसी प्रकार आरआरटी 2012(2) पेज 850 आरआरटी 2009(2) पेज 988, आरआरटी 2011(1) पेज 432 में भी सभी विधिक वारिसान के नाम विरासत स्वीकार करने एवं इसके उल्लघंन प्रकरण में रिमाण्ड करने को उचित बताया गया है। इस नामांतरकरण आदेश के विरूद्व अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को की गई जो फतेहलाल के बडे पुत्र ग्यासी के पुत्र वीरीसिंह एवं पुत्री लक्ष्मी द्वारा की गई।

8. अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.04.2023 में अंकित किया है कि "अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 3 ग्राम बसईयालालू स्व. फतेहलाल की विरासत का खोला गया है और उक्त नामांतरकरण पर फतेहलाल का जो सिजरा अंकित किया है उसमें ग्यासी के नाम के साथ साथ रामसिंह, नाहरसिंह फौत वेवा कलावती का नाम अंकत किया गया है और अपीलाधीन नामांतरकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक के सभी वारिसान का नाम अंकित किये गये किन्तु ग्राम पंचायत के निर्णय में यह अंकित करना कि ग्यासी को अलग जमीन दी जा चुकी है और उसका नाम विरासत के नामांतरकरण में से हटाकर नामांतरकरण का निर्णय कर दिया गया। जबकि ग्राम पंचायत को मात्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी वारिसान के नाम नामांतरकरण निर्णय करने का अधिकार है उसको किसी के स्वत्व का निर्धारण करने को अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा बिना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

किसी अधिकृत आदेश के नामांतरकरण में से ग्यासी का नाम हटाने में कानूनी त्रुटि की गई है। इस प्रकार अपीलाधीन नामांतरकरण पर पारित आदेश प्रारम्भ से ही वॉयड ऐबिनिश्यो है और ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः हम विद्वान अभिभाषक अपीलांटस के तर्कों से सहमत होते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार कर विधिक प्रावधानों के अनुसार पुनः नामांतरकरण की कार्यवाही हेतु तहसीलदार धौलपुर को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।''

9. इस प्रकार अपीलाधीन नामांतरकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मृतक के सभी वारिसान का नाम अंकित किये गये किन्तु ग्राम पंचायत के निर्णय में यह अंकित करना कि ग्यासी को अलग जमीन दी जा चुकी है और उसका नाम विरासत के नामांतरकरण में से हटाकर नामांतरकरण का निर्णय कर दिया गया। जबकि ग्राम पंचायत को मात्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी वारिसान के नाम नामांतरकरण निर्णय करने का अधिकार है उसको किसी के स्वत्व का निर्धारण करने को अधिकार प्राप्त नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है तथा रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें प्रकरण पर चस्पा होती है। चूँकि वीरीसिंह ग्यासी का पुत्र है उसे अपील करने का अधिकार प्राप्त है। तहसीलदार को रिमाण्ड प्रकरण में दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखे जाने का अवसर प्राप्त है। विधिविरूद्ध आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

10. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर का निर्णय दिनांक 28.04.2023 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/6/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर